संख्या–वे0आ0–2– 1983 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सहकारिता विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) सामान्य श्रेणी के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, लिपिकीय संवर्ग तथा आशुलिपिक आदि के सम्बन्ध में सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ अलग से दी जा चुकी हैं। सहकारिता विभाग के निबंधक सहकारिता, सहकारी न्यायाधिकरण, विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता एवं उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के अधीन सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(2) सहकारिता विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय
/
(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2– 1983 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।

2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।